न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :285 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 427)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. बलविन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह जाति सैनी निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 26.03.2024

उपस्थितः 1.श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 30.05.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 39, 58, 59, 61, 67 में भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 39 में वादी का नाम क्रम संख्या 2 बलविन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह एंव क्रम संख्या 3 विरेन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह अंकित है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम बलविन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह दर्ज है। वादी का वास्तविक नाम बलविन्द्र सिंह ही है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 39/40 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम विरेन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह के स्थान पर बलविन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 832 दिनांक 21.04.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 2 एक्स के खाता संख्या 39/40 के मुरब्बा नम्बर 16 में विरेन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह के नाम 0.791 हैक्टेयर भूमि व बलविन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह के नाम 0.790 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 2 एक्स के इन्तकाल संख्या 4 में विरेन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह जरिए बैयनामा कुल 0.790 हैक्टेयर भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ में पाया गया कि बलविन्द्र सिंह व विरेन्द्र सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। साक्ष्यवादी में गवाह बलविन्द्र सिंह, सुखदेव सिंह, प्रकाश राम के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किए सामिल मिसल किए गए।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 39 की प्रति, पासपोर्ट की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

खाता संख्या 39 / 40 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम विरेन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह के स्थान पर बलविन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज पासपोर्ट की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम बलविन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत 2 एक्स के तस्दीक प्रमाण में प्रमाणित किया गया है कि बलविन्द्र सिंह व विरेन्द्र सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—ःआदेशः—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136— भू—राजस्व अधिनियम—1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 39 / 40 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम विरेन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह के स्थान पर विरेन्द्र सिंह उर्फ बलविन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर / लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

बलविन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **48/2024**

निर्णय दिनांक :- 30.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 39/40 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम विरेन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह के स्थान पर विरेन्द्र सिंह उर्फ बलविन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 30.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांकः 30.05.2025

क्रमांकः रीडर/2025/325

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर